



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

EB 160093

प्रथम पक्ष— मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, अम्बेडकरनगर।
द्वितीय पक्ष— भेसर्फ़ एस. के. हैब्लेस, २०१८ भूमि नं. १२४, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
(सेवा प्रदाता)..... ३५७९२५८ ३१२९१९१८२१८८

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा "सर्पेटिब सुपरविजन कार्यक्रम" के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक ३०.०७.२०१९ को जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक ०१.०९.२०१९ से दिनांक ३१.०७.२०२० तक होगी।

१. द्वितीय पक्ष जनपद में सर्पेटिब सुपरविजन कार्यक्रम के संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(क) प्रथम पक्ष, सेवाप्रदाता की अनुमोदित ई-निविदा में कुल ११ (०५१८८) वाहन रुपये (३२७००/-) प्रति बाहन प्रति माह की दर से परिवहन हेतु देगा। ऐसेन्सी १५ दिवस के भीतर समस्त बाहनों की सूची प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा ऐसा न हो पाने की दशा में उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए—

- वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य पक्ष किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्स्योरेन्स के तहत मिलेगी।

30.7.19
रुद्रप्य चिकित्साधिकारी

अम्बेडकरनगर

सुमन लता

- वाहन की पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि अनिवार्य है।
- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन प्रतिमाह अधिकतम 2000 किमी तक उपयोग की जायेगी। वाहन 1000 किमी प्रतिमाह से कम चलने की दशा में अनुपातिक भुगतान किया जायेगा।
- वाहन को चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
- द्वितीय पक्ष समस्त निर्धारित ब्लाकों को वाहन उपलब्ध करायेगा तथा लगाये गये बाहनों की सूची मय समस्त अभिलेख द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उससे समय-समय पर कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दे सकें।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- एजेन्सी उपलब्ध कराने वाले सभी बाहनों में जी0पी0एस0 सुविधा उपलब्ध करायेगी तथा प्रति माह भुगतान के समय जी0पी0एस0 डाटा तथा सत्यापित लॉग बुक भी संलग्न करना होगा।
- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं प्रति माह प्रति वाहन का उपयोग करने पर रु0-32000/-_{9545पौरुषालयनारे।} का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु दयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- वाहन में छोटी-मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

३५/३०.२-१४
मुख्य विकासाधिकारी
अम्बेडकरनगर

सुमनलता

- वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल अम्बेडकरनगर न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मौग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

स्थान :-

दिनांक :- ३०.०७.२०१०

हस्ताक्षर :- ५२८०-८०-८१८

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर न्यायालय
द्वितीय पक्ष करनगर

हस्ताक्षर :- अनुभव भाट

(अनुबन्धित वाहन स्वामी का नाम
प्रथम पक्ष

साक्षी (1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

Supportive Supervision Vehical Hyring Status (Block Level) for 2018-19

Sl.No	Name of Division	Name Of District	Name of Block	Vehical No	Date Of Hiring	Vehical Allotted	Vehical Status	Name of Agency/ Vehical's owner	Mobile No
1	Faizabad	Ambedkar Nagar	Akberpur	UP 45 T 4406	1/8/2018	1	Hired	M/S S.K Travels, Akberpur Ambedkarnagar	9452491800 9838358000
2			Katehari	UP 45 T 4727	1/8/2018	1	Hired		
3			Bhiti	UP 45 T 4523	1/8/2018	1	Hired		
4			Ramnagar	UP 45 T 6630	1/8/2018	1	Hired		
5			Baskhari	UP45 T 8685	1/8/2018	1	Hired		
6			Jahangirganj	UP 45 T 4420	1/8/2018	1	Hired		
7			Bhiyon	UP 45 T 3458	1/8/2018	1	Hired		
8			Tanda	UP 45 F 3399	1/8/2018	1	Hired		
9			Jalalpur	UP 45 T 4393	1/8/2018	1	Hired		

Supportive Supervision Vehical Hyring Status (District Level) for 2018-19

Sl.No	Name Of District	No Of Vehical Allotted	No of Vehical Hired	Vehical No-1	Date of Hiring	Vehical No-2	Date of Hiring	Name of Agency/ Vehical's owner	Mobile No
1	Ambedkar Nagar	1	1	UP 45 T 4401	1/8/2018	-	-	M/S S.K Travels, Akberpur Ambedkarnagar	9452491800 9838358000
2	Ambedkar Nagar	1	1	-	-	UP 45 T 5394	1/8/2018		

NOTE- Contract Period 01.8.2018 to 31.08.2020

राकेश सिंह

मध्य अग्रही

कनिष्ठ सहायक

अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अम्बेडकरनगर

CHIEF MEDICAL OFFICER

S.K TRAVELS

AMBEDKARNAGAR

कानूनी संस्था